

न्यायालय:— मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला—बालोद, (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी:— संजय जायसवाल)

क्लेम केस नं.:— 3/2016.
संस्थित दिनांक :—11-1-2016.

1. श्रीमती रूख्मणी देशमुख पति स्व. राजेशकुमार देशमुख,
उम्र 36 वर्ष,
2. रोमनलाल देशमुख पिता स्व. दयाराम देशमुख, उम्र—65 वर्ष,
जाति—कुर्मी, निवासी— ग्राम खर्रा, थाना/ तहसील गुंडरदेही,
जिला—बालोद (छ.ग.) ——— आवेदकगण.

// विरुद्ध //

1. मलेश कुमार ठाकुर पिता बस्तीराम ठाकुर,
उम्र—45 वर्ष, निवासी— ग्राम कचान्दुर,
थाना/ तहसील गुंडरदेही,
जिला—बालोद (छ.ग.)
2. नागेश्वर प्रसाद चंद्राकर पिता बालमुकुंद चंद्राकर,
उम्र—35 वर्ष, निवासी— ग्राम कचान्दुर,
थाना/ तहसील गुंडरदेही,
जिला—बालोद (छ.ग.),
3. यूनाइटेड इं. इंश्योरेंस कंपनी लिमि0,
व्दारा—शाखा कार्यालय तारा कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड,
पावर हाउस भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.) ——— अनावेदकगण.

:: अधिनिर्णय ::
(दिनांक 24-9-2016 को पारित)

01. धारा 166 मोटर यान अधिनियम के तहत प्रस्तुत इस दावा आवेदन में दिनांक 13-11-2015 को मोटरसायकिल हीरोहोंडा क्रमांक —सी0जी0—07ए.बी. 0870 से हुई दुर्घटना में आई चोट के फलस्वरूप प्रीतेश उर्फ पिकू देशमुख की हुई मृत्यु बाबत प्रतिकर राशि की मांग आवेदकगण ने क्रमशः उसकी माता एवं दादा के रूप में की है, जिसमें आगे उक्त वाहन को

दोषी वाहन से सम्बोधित किया जा रहा है।

02. यह स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदकगण क्रमशः उक्त दोषी वाहन के चालक, पंजीकृत स्वामी तथा बीमाकर्ता हैं।

03. दावा आवेदन संक्षेप में इस आशय का है कि दिनांक 13-11-2015 को प्रीतेश उर्फ पिकू देशमुख अपने दोस्त जागेश्वर के मोटरसायकिल में प्रवीण के साथ तीनों सवार होकर पुस्तक खरीदने गुंडरदेही आ रहे थे और मोटरसायकिल रास्ते में पंचर हो जाने से प्रीतेश उर्फ पिकू पैदल जा रहा था। तब गुंडरदेही में संतोष पेट्रोल पंप के पास अनावेदक क्रमांक-1 मलेश कुमार ठाकुर दोषी वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते आकर उसे ठोकर मार दिया, जिससे सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही प्रीतेश उर्फ पिकू की मृत्यु हो गई। इस पर थाना गुंडरदेही द्वारा अपराध क्रमांक 421/15 की कायमी कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। आगे दावा आवेदन इस आशय का है कि प्रीतेश उर्फ पिकू देशमुख 17 वर्षीय स्वस्थ व मेहनती युवक था, जो अपने दादा आवेदक रोमनलाल देशमुख के किराना दुकान में उनके साथ मिलकर व्यवसाय कर 5,000/- रुपये मासिक आय अर्जित कर लेता था, जिसकी आकस्मिक मृत्यु से आवेदकगण उसके प्रेम, स्नेह और सहयोग तथा आय से वंचित हो गये हैं। अतः विभिन्न मदों में क्षति की गणना करते हुए कुल 14,50,000/-रुपये प्रतिकर राशि मय ब्याज तथा वादव्यय के साथ दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

04. अनावेदक क्रमांक-1 व 2 ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुये इस आशय का संयुक्त जवाबदावा पेश किये हैं कि उनके दोषी वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि मलेश कुमार दोषी वाहन को धीमी गति से सावधानीपूर्वक चलाते हुये कचान्दुर से गुंडरदेही जा

रहा था तब संतोष पेट्रोल पंप के मोड़ के पास प्रीतेश उर्फ पिकू अपने वाहन को ढकेलते हुये जा रहा था । रात 8.00 बजे का समय होने से गुंडरदेही से दुर्ग की ओर जा रही ट्रक के लाईट की तेज रोशनी प्रीतेश उर्फ पिकू की आंख में पड़ने से वह हड़बड़ाकर स्वयं अपने गलती से टकराकर गिर गया । इस प्रकार उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिये उनका कोई दायित्व नहीं बनता और यदि आवेदक पक्ष को प्रतिकर दिलाया जाना उचित पाया जाता है तो दोषी वाहन अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा बीमित रही है, इसलिये संपूर्ण उत्तरदायित्व अनावेदक क्रमांक-3 का बनता है, इसलिये उनके विरुद्ध दावा आवेदन खारिज किया जाये ।

05. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुये इस आशय का जवाबदावा पेश किया है कि बीमा पॉलिसी की प्रमुख शर्तों में वाहन का प्रयोग वैध परमिट, फिटनेस और वैध ड्रायव्हिंग लायसेंस के तहत ही किया जाना चाहिये, जिसके उल्लंघन से बीमा शर्तों का भंग होता है और बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है । अतः उनके विरुद्ध दावा आवेदन खारिज किया जाये । तर्क के दौरान अनावेदक क्रमांक-3 ने दोषी वाहन का बीमित होना स्वीकार किया है ।

06. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्न की रचना की गई है, जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरांत दिये जा रहे हैं :-

क्र०	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या घटना दिनांक 13-11-2015 को अनावेदक क्रमांक-1 मोटरसायकिल क्रमांक- सी.जी.-07ए.बी.-0870 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मेनरोड गुंडरदेही संतोष पेट्रोल पंप के पास प्रीतेश उर्फ पिकू देशमुख को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई ?	“हाँ” ।

2.	“क्या मामले में बीमा शर्त का भंग किया गया है, यदि हां तो प्रभाव?”	“प्रमाणित नहीं।”
3.	“क्या आवेदकगण ,अनावेदकगण से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितना ?”	“कंडिका- 23 के अनुसार निराकृत।”
4.	“सहायता एवं व्यय ?”	“कंडिका- 25 के अनुसार निराकृत।”

निष्कर्ष के आधार

वाद प्रश्न क्रमांक-1 :-

07. मामले में आवेदक पक्ष से ही साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, अनावेदक पक्ष से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है ।

08. आवेदक पक्ष से परीक्षित आवेदिका श्रीमती रूख्मणी देशमुख, आ. सा.क्र.-2 रोमनलाल देशमुख तथा आ.सा.क्र.-3 तलेश्वर देशमुख मौके के साक्षी नहीं हैं । उन्होंने दुर्घटना में प्रीतेश उर्फ पिकू की मृत्यु होने का कथन किया है। अपने पक्ष समर्थन में पुलिस के चालानी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी-1 से लेकर प्रदर्श पी-7 तक की पेश की है, जिनके परिशीलन से यह पाया जाता है कि दिनांक 13-11-2015 को दुर्घटना बताई गई है और उसी दिन मृतक के साथ मौके में मौजूद रहने वाले राहुल कुमार साहू द्वारा उसी दिन प्रदर्श पी-2 की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसमें दुर्घटना मोटरसायकिल से बताई गई, किंतु पहचान न पाने से अज्ञात मोटरसायकिल चालक के विरुद्ध अपराध की कायमी की गई है । दिनांक 24-11-2015 को अनावेदक मलेश कुमार ठाकुर से उसका ड्रायव्हिंग लायसेंस प्रदर्श पी-4 के तहत जप्त किया गया तथा दिनांक 26-11-2015 को अनावेदक क्रमांक-2 नागेश्वर से दोषी वाहन मोटरसायकिल को प्रदर्श पी-5 के तहत मय पंजीयन प्रमाण-पत्र और बीमा पॉलिसी के साथ जप्त किया गया । दोषी वाहन के

मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 के अनुसार वाहन का वाइजर, यूनिट मीटर केश ब्रेकेट व हेडलाईट क्षतिग्रस्त पाया गया । शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 के अनुसार प्रीतेश उर्फ पिकू की मृत्यु दुर्घटनाजनित चोटों के फलस्वरूप हुई और पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत दोषी वाहन के चालक अनावेदक मलेश कुमार की उपेक्षा और उतावनापन पाया जाकर उसे अभियोजित करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 पेश किया गया है ।

9. प्रीतेश उर्फ पिकू की मृत्यु को विवादित नहीं किया गया है । अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी का तर्क रहा है कि रिपोर्ट अज्ञात वाहन के खिलाफ लिखाई गई थी और अनावेदक क्रमांक-2 नागेश्वर प्रसाद चंद्राकर भी आवेदक के ही समाज का है और पुलिस में है तथा मृतक भी पुलिस वाले का पुत्र था, इसलिये साजिश के तहत बाद में दोषी वाहन को दुर्घटना में संलिप्त बता दिया गया है, जबकि दोषी वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है ।

10. अनावेदक क्रमांक-1 व 2 का तर्क रहा है कि मृतक प्रीतेश उर्फ पिकू रात का समय होने से ट्रक की रोशनी में हड़बड़ा जाने से टकरा गया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई, किंतु इस स्थिति को दर्शाने वास्ते साक्षी के रूप में चालक अनावेदक मलेश उपस्थित नहीं हुआ है ।

11. आ.सा.क्र.-3 प्रधान आरक्षक तलेश्वर देशमुख का कथन रहा है कि उसे दीवाली के दूसरे दिन फोन आया कि भांजा प्रीतेश उर्फ पिकू की दुर्घटना हो गई है तब वह अपने पिता के साथ गुंडरदेही थाना गया तो पता चला कि प्रीतेश उर्फ पिकू की मृत्यु हो चुकी थी । उल्लेखनीय है कि प्रधान आरक्षक तलेश्वर देशमुख जिला पुलिस बल में कार्यरत है, जिसने अनावेदक क्रमांक-2 नागेश्वर को छ.ग.सशस्त्र बल में कार्यरत होना बताया है और यह स्वीकार किया है कि नागेश्वर उन्हीं की जाति-समाज का है । आगे उसने

कहा है कि प्रीतेश उर्फ पिकू के दशगात्र के पश्चात् उसे अनावेदक नागेश्वर चंद्राकर से ही पता चला था कि उनकी मोटरसायकिल से ही दुर्घटना हुई थी, जिस मोटरसायकिल को उस दिन अनावेदक मलेश उससे मांगकर ले गया था और दुर्घटना के समय मोटरसायकिल में मलेश के पीछे उसका भतीजा भी बैठा था, जिस भतीजे को सिर में चोट आई थी और उसका चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल, भिलाई में ऑपरेशन हुआ था । इस प्रकार आ.सा.क.—3 तलेश्वर देशमुख ने यह बताया है कि पुलिस को किस प्रकार ज्ञात हुआ कि दुर्घटना किस मोटरसायकिल से हुई थी ।

12. तलेश्वर देशमुख की विश्वसनीयता को आंकने वास्ते उसके प्रति—परीक्षण को देखें तो उसने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह मौके पर नहीं था और घटना की रिपोर्ट राहुल ने लिखाई थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि अनावेदक मलेश का भाई दुर्गु ठाकुर दोषी वाहन के स्वामी अनावेदक नागेश्वर के यहां काम करता है । उसके इस स्पष्टीकरण से जाहिर होता है कि इसी संबंध के तहत अनावेदक मलेश, वाहन स्वामी नागेश्वर से दोषी वाहन को मांगकर ले गया था । मात्र एक समाज का होने के कारण से आ.सा.क.—3 तलेश्वर देशमुख के बयान को नकारा नहीं जा सकता और वह अपने इस कथन में अखंडित रहा है कि अनावेदक नागेश्वर से ही उसी दोषी वाहन से प्रीतेश उर्फ पिकू की दुर्घटना की जानकारी मिली थी, जो दशगात्र के बाद मिली थी और जप्ती प्रदर्श पी—5 से भी जाहिर होता है कि दुर्घटना से करीब 13 दिन पश्चात् दोषी वाहन की जप्ती हुई है, चूंकि दोषी वाहन के मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 के अनुसार उसके कुछ सामान क्षतिग्रस्त पाये गये हैं, इसलिये तलेश्वर के कथन को नकारा नहीं जा सकता ।

13. अनावेदक क्रमांक—3 ने तर्क दिया है कि घटना की रिपोर्ट में दोषी वाहन का उल्लेख नहीं आया है और उभय पक्ष एक ही समाज के

तथा एक ही पुलिस विभाग में कार्यरत होने से साजिश के तहत बीमित दोषी वाहन को संलिप्त बताकर रिपोर्ट लिखाये हैं, जिससे कि प्रतिकर राशि प्राप्त की जा सके । इस तर्क के समर्थन में न्याय-दृष्टांत शाखा प्रबंधक, नेशनल इं.कं.लि. विरुद्ध योगानंद व एक अन्य 2015 (4) ए.सी.सी.डी.—1993 (कर्नाटक) का हवाला दिया गया है । जिस मामले में आहत ने अस्पताल में बाईक से स्वयं गिरना बताया था और 3 दिन पश्चात् वाहन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । तब प्राधिकरण द्वारा वाहन के स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध पारित अधिनिर्णय को न्यायोचित न पाते हुये अपास्त किया गया, क्योंकि स्वयं आहत के बयान से 3 दिन पश्चात् लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट विरोधाभासी था ।

14. मेरे समक्ष के मामले में तथ्य बिल्कुल भिन्न है । न्याय-दृष्टांत वाले मामले में व्यक्ति आहत था, जो स्वयं अस्पताल में बाईक से गिर जाना बताया था, जबकि मेरे समक्ष के मामले में मृतक प्रीतेश उर्फ पिकू का इस बाबत ऐसा कोई कथन नहीं रहा है, हालांकि दुर्घटना के वक्त मौके पर मौजूद बताये गये राहुल और प्रवीण का बयान नहीं कराया गया है, किंतु यह भी स्पष्ट है कि दुर्घटना की रिपोर्ट 3 दिन बाद न कराया जाकर बल्कि दुर्घटना के ही दिन लिखाई गई है । उपरोक्त न्याय-दृष्टांत वाले मामले की तरह मेरे समक्ष के इस मामले में इस बिंदु पर विरोधाभास की स्थिति नहीं आई है कि आहत या मृतक स्वयं बाईक से गिरा हो । इसलिये तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रस्तुत न्याय-दृष्टांत का लाभ बीमा कंपनी को नहीं मिलता ।

15. न्याय-दृष्टांत श्रीमती पवनबाई व अन्य विरुद्ध दलजीत कौर व अन्य, 2011 (1) ए.सी.सी.डी.—293 (म.प्र.) तथा दूसरे न्याय-दृष्टांत दिवाकर शुक्ला व अन्य विरुद्ध अशोक कुमार ठाकुर व अन्य, 2006 (11) दु.मु.प्र.—225 में अवधारित किया गया है कि यदि चालक ने स्वयं को

साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं किया है तो धारणा उसके विपरीत बनती है । इसी प्रकार न्याय-दृष्टांत **भगवंत विरुद्ध श्रीमती रामप्यारी 1991 जे.एल. जे.-277** में अवधारित किया गया है कि यदि आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज की अंतर्वस्तुयें तथा मौखिक साक्ष्य अखंडित हैं तो उनके आधार पर दुर्घटना का तथ्य प्रमाणित माना जाना चाहिये ।

16. मामले में दोषी वाहन के चालक के रूप में अनावेदक मलेश कुमार ठाकुर साक्षी के कटघरे तक नहीं आया है । इसलिये न्याय-दृष्टांत के प्रकाश में उपधारणा उसके विपरीत बनती है । आवेदक साक्षियों के अखंडित बयान तथा पुलिस के चालानी प्रतिवेदन के आधार पर यह स्थापित हुआ है कि अनावेदक मलेश द्वारा दोषी वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाये जाने के फलस्वरूप दुर्घटना हुई, जिसमें ठोकर लगने से गंभीर चोट आने के कारण प्रीतेश उर्फ पिकू की मृत्यु हुई । अतः वादप्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से 'हाँ' में दिया जाता है ।

वाद प्रश्न क्रमांक-2:—

17. बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया गया ऐसा बचाव अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी द्वारा लिया गया है। इसलिये सबूत भार भी बीमा कंपनी पर रहा है, जिसके निर्वहन में अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है । आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत चालानी दस्तावेजों में जप्ती प्रदर्श पी-4 के अनुसार अनावेदक क्रमांक-1 चालक मलेश कुमार ठाकुर का ड्रायव्हिंग लायसेंस तथा जप्ती प्रदर्श पी-5 के अनुसार बीमा पॉलिसी की फोटोप्रति भी जप्त की गई है, जिनकी प्रतिलिपि अभिलेख में संलग्न भी है । उन्हें अवैध या अप्रभावशील दर्शाने वास्ते बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं है । इसलिये यह प्रमाणित नहीं पाया जाता कि दोषी

वाहन के चालन में बीमा के किसी शर्त का भंग किया गया हो । इसलिये वादप्रश्न क्रमांक-2 का निष्कर्ष 'प्रमाणित नहीं' में दिया जाता है ।

वादप्रश्न क.-3 :-

18. इस मामले में मृतक प्रीतेश उर्फ पिकू की उम्र दुर्घटना के समय 17 वर्ष होना कहा गया है तथा उम्र विषयक कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं हुआ है, किंतु आवेदिका रूख्मणी देशमुख ने प्रति-परीक्षण की कंडिका-8 में यह स्वीकार किया है कि प्रीतेश उर्फ पिकू की जन्मतिथि 31-8-2000 थी । इस तिथि से गणना करें तो दुर्घटना दिनांक 13-11-2015 को प्रीतेश उर्फ पिकू की उम्र करीब 15 वर्ष और ढाई माह की होना पाया जाता है ।

19. आवेदक पक्ष का साक्ष्य रहा है कि मृतक प्रीतेश उर्फ पिकू अपने दादा आ.सा.क्र.-2 रोमनलाल देशमुख के किराना दुकान में सहयोग और देखरेख करता था । उसकी मां आवेदिका श्रीमती रूख्मणी देशमुख ने कहा है कि दुकान का लेन-देन व खरीदी कार्य प्रीतेश उर्फ पिकू द्वारा ही किया जाता था, जिससे वह महीने में 5,000/- रुपये आय अर्जित कर लेता था । उसने यह भी बताया है कि पुलिस विभाग में कार्यरत उसका पति राजेश कुमार देशमुख पहले ही दुर्घटना में मृत हो चुका है । उसने इस सुझाव को नकार दिया कि राजेश देशमुख के स्थान पर उसके दूसरे पुत्र संतोष देशमुख को अनुकम्पा नियुक्ति मिली है, किंतु उन्हीं के साक्षी और रिश्तेदार आ.सा.क्र.-2 रोमनलाल देशमुख तथा आ.सा.क्र.-3 तलेश्वर देशमुख ने यह स्वीकार किया है कि राजेश देशमुख की मृत्यु होने पर उसके छोटे पुत्र संतोष को अनुकम्पा नियुक्ति मिली है, जो बाल आरक्षक है ।

20. आवेदिका श्रीमती रूख्मणी देशमुख ने प्रति-परीक्षण में यह

स्वीकार किया है कि उसकी दो संतानों में से एक प्रीतेश उर्फ पिकू की मृत्यु हो गई है और दूसरा संतोष देशमुख है, जो दुर्घटना के पहले तक उसके साथ ही दुर्ग में रहते थे और पढ़ते थे । उसने कहा है कि पढ़ाई छूटने के बाद गांव खर्वा में रहती है और जब दुर्घटना नहीं हुई थी तब उसका ससुर आवेदक रोमन ही ग्राम खर्वा में अकेले रहता था । इससे परिलक्षित हो रहा है कि अध्ययन की उम्र वाले मृतक प्रीतेश उर्फ पिकू को संभवतः प्रतिकर के लालच में दादा रोमन के किराना दुकान में सहयोग करने और संचालन करने वाला बताया जा रहा है ।

21. उक्त संदर्भ में आवेदक दादा रोमनलाल देशमुख का बयान देखें तो उसने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके पुत्र राजेश की मृत्यु पश्चात् आवेदिका रूख्मणी अपने बच्चों को लेकर दुर्ग में रहने लगी थी और प्रीतेश उर्फ पिकू की मृत्यु से पूर्व ग्राम खर्वा में वह अकेले ही रहता था । मामले में कथित किराना दुकान के लेखा-जोखा संबंधी पंजी प्रदर्श पी-8 व 9सी के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें न तो दुकान का नाम है न दुकान चलाने वाले का नाम है, बल्कि रोमनलाल ने उसकी प्रविष्टियां अपने हस्तलेख में होना बताया है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान में भी आवेदिका रूख्मणी अपने पुत्रों के साथ दुर्ग में रहती है उसके साथ खर्वा में नहीं रहती है । इससे प्रकट होता है कि मृतक प्रीतेश उर्फ पिकू का जो किराना दुकान में सहयोग और संचालन से आय की बात कही गई है उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि आ.सा.क.-3 तलेश्वर देशमुख ने भी आवेदिका रूख्मणी और उसके पुत्रों को दुर्ग में रहना बताया है और कहा है कि प्रीतेश उर्फ पिकू जो कक्षा 9वीं पढ़ रहा था और पास नहीं हुआ था वह कक्षा 10वीं के प्रायद्वेट परीक्षा की तैयारी कर रहा था । इस प्रकार मृतक प्रीतेश उर्फ पिकू का कोई नियमित आय प्रमाणित नहीं हुआ है और यह भी प्रकट होता है कि आवेदक दादा रोमनलाल की मृतक पर कोई निर्भरता नहीं थी न ही दुकान के संचालन

में मृतक का कोई सहयोग था । रोमनलाल देशमुख ने यह भी स्वीकार किया है कि गुमास्ता एक्ट के तहत उसकी दुकान का कोई पंजीयन नहीं हुआ है । इससे पाया जाता है कि वह एक गुमटीनुमा बहुत ही छोटे रूप में दुकान चलाता है और बहू तथा नातीगण उससे पृथक दुर्ग में रहते थे ।

22. मृतक प्रीतेश उर्फ पिकू की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा की पाई गई है और जब उसके पिता पहले ही दुर्घटना में मृत हो चुके थे, उसका भाई बाल आरक्षक के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति पर है तब निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रीतेश उर्फ पिकू भी आय अर्जित करता । इस दृष्टि से प्रतिकर राशि की गणना हेतु उसका “नोशन इंकम” 4,000/— रुपये मासिक आंका जाता है, जिसमें 12 का गुणा किये जाने पर उसकी वार्षिक आय 48,000/— रुपये होती है । प्रीतेश उर्फ पिकू अविवाहित था, अतः उसका व्यक्तिगत खर्च 50 प्रतिशत अर्थात् 24,000/— रुपये घटाने पर आवेदक पक्ष की वार्षिक आश्रितता राशि 24,000/— रुपये आंकी जाती है ।

23. अब यह प्रश्न आता है कि मामले में कितना गुणक लागू किया जाना चाहिये ? इस संदर्भ में देखें तो मृतक प्रीतेश उर्फ पिकू की उम्र 15 वर्ष ढाई माह के लगभग थी । आवेदिका मां श्रीमती रूख्मणी देशमुख की उम्र 36 वर्ष दर्शायी गई है, जो विधवा है और इस बात की भी संभावना बनती है कि जब आवेदिका रूख्मणी के पति की दुर्घटना में मृत्यु हुई तब उसके फलस्वरूप भी उसे मुआवजा राशि मिली होगी । न्याय—दृष्टांत न्यू इंडिया इंक. विरुद्ध श्रीमती शांति पाठक ए.आई.आर.—2007 सु.को.—2649 में अवधारित किया गया है कि यदि मृतक अविवाहित हो और दावेदार माता—पिता हैं तब माता—पिता की उम्र के आधार पर गुणांक का चयन किया जाना चाहिये । मेरे समक्ष के इस मामले में मां आवेदिका है, जिस मां श्रीमती रूख्मणी की उम्र 36 वर्ष बताई गई है, जिसे देखते हुये न्याय—दृष्टांत श्रीमती सरला वर्मा व

अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम व अन्य 2009(2) ए.सी.सी.डी. 924 (सु.कोर्ट) के प्रकाश में मामले में 15 का गुणक लागू किया जाना उचित पाया जाता है । आवेदकगण की आंकी गई वार्षिक आश्रितता राशि 24,000/— रुपये में 15 का गुणा किये जाने पर कुल आश्रितता राशि 3,60,000/— होती है, जिसमें प्रेम-स्नेह से वंचित होने के मद में 1,00,000/— और अंतिम क्रियाकर्म के मद का 25,000/— रुपये और जोड़े जाने पर कुल प्रतिकर राशि **4,85,000/—** रुपये होती है, जो आवेदकगण प्राप्त करने के हकदार हैं।

24. अनावेदकगण क्रमशः दोषी वाहन के चालक, पंजीकृत स्वामी और बीमाकर्ता हैं । बीमा की शर्तों का भंग होना प्रमाणित नहीं हुआ है । इसलिये उक्त प्रतिकर के लिये अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथक्कतः उत्तरदायी पाये जाते हैं।

वादप्रश्न क.-4 :-

25. उपरोक्त विवेचना पर से यह अधिकरण पाती है कि आवेदकगण अपना दावा अनावेदकगण के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, अतः आवेदकगण का दावा अंशतः स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि :-

अ. अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथक्कतः आवेदकगण को **4,85,000/—**रुपये (अक्षरी चार लाख पचयासी हजार रुपये) अदा करेंगे, जिस पर दावा आवेदन प्रस्तुति दिनांक से संपूर्ण अदायगी तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा । शेष दावा खारिज किया जाता है ।

ब. अनावेदकगण उभय पक्ष का वाद व्यय भी वहन करेंगे।

स. प्रतिकर राशि जमा होने पर आवेदिका श्रीमती रूख्मणी देशमुख के नाम 4,50,000/— रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक में 10 वर्ष के लिये स्थायी जमा की जाये, जिसमें से वह प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि आहरण कर सकेगी तथा शेष राशि उसे एकाउंट पेयी भुगतान किया जाये।

द. मामले में अधिवक्ता शुल्क 3 दिन में प्रमाणित होने पर उभय पक्ष हेतु पृथक-पृथक 500-500/— रुपये आंका जाता है।

तदनुसार व्यय तालिका तैयार की जाये।

सही/—

बालोद, दिनांक 24-9-2016.

(संजय जायसवाल)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद,
जिला बालोद(छ0ग0)

वाद व्यय

क्र०		आवेदक	अना०क्र०-1 व 2	अना०क्र०-3
1	मूलदावा	40=00	—	—
2	पावर	5=00	5=00	5=00
3	आवेदन पत्र	10=00	—	5=00
4	अभिभाषक शुल्क	—	—	—
	योग	55=00	5=00	10=00

सही/—

(संजय जायसवाल)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोद(छ0ग0)